जूट उद्योग को सरकारी कोटा बंद करने की चेतावनी

जयजित दास
भुवनेश्वर, 28 जुलाई

जूट आयुक्त ने कुछ मिलों द्वारा अनुचित व्यापार तरीके अपनाए जाने का हवाला देते हुए जूट उद्योग को सरकारी कोटा 5 वर्षों के लिए बंद करने की चेतावनी दी है। कुछ जूट मिलों पर आरोप है कि वे मुनाफा कमाने के लिए नेपाल और बांग्लादेश से जूट बोरियों का अवैध आयात कर रही हैं।

जूट पैकेजिंग मैटेरियल ऐक्ट (जेपीएमए), 1987 के तहत सरकारी एजेंसियों द्वारा चीनी और खाद्यान्न की भराई में जूट की बोरियों का 100 फीसदी इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। हर साल भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) राज्य खाद्यान्न खरीद एजेंसियों की ओर से उद्योग द्वारा उत्पादित 40-45 फीसदी जूट की बोरियां खरीदता है। लेकिन इस कानून के तहत सरकारी खरीद एजेंसियों को आपूर्ति के लिए जूट बोरियों के आयात पर रोक लगाई गई है।

जूट आयुक्त सुब्रत गुप्ता ने इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) के चेयरमैन राघव गुप्ता को लिखा है, 'अगर ये गतिविधियां आगे नहीं रोकी गईं तो उनके कार्यालय को कड़ा फैसला लेना होगा। आप जूट उद्योग के लंबी अवधि के हित में उचित फैसला लेने पर विचार कर सकते हैं। हम उन मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में विचार कर रहे हैं, जो अब तक इन गतिविधियों में लिप्त रही हैं।'

हाल में जूट आयुक्त ने पाया कि कुछ मिलें सरकारी खाद्यान्न खरीद एजेंसियों को ऊंची कीमतों पर बेचने के लिए बांग्लादेश और नेपाल से सस्ती जूट बोरियों का अवैध आयात कर रही हैं। इन मिलों में से ज्यादातर आईजेएमए से जुड़ी हैं। जूट ऐंड जूट टेक्सटाइल कंट्रोल ऑर्डर के तहत जूट आयुक्त को कानून का उल्लंघन करने वाली मिलों के खिलाफ अभियोग और कारावास की सिफारिश करने की शक्ति मिली हुई है। जूट आयुक्त के निशाने पर 10-12 जूट मिलें हैं। सूत्रों ने कहा कि जूट आयुक्त ने इन जूट मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश करते हुए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय को एक पत्र भेजा है।

इस महीने 3 जुलाई को जूट आयुक्त पहले ही मंत्रालय की 22वीं स्थायी सलाहकार समिति के समक्ष जूट उद्योग में अनुचित व्यापार पद्धतियों को उजागर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग उपयोग की हुई, कम वजन और घटिया गुणवत्ता की बोरियों की आपूर्ति करने में लिप्त पाया गया है। इसके अलावा उद्योग को नेपाल और बांग्लादेश और नेपाल से अवैध आयात करने में भी संलिप्त पाया गया है। बांग्लादेश अपने निर्यात उत्पादों पर 10 फीसदी नकद सब्सिडी देता है, इसलिए उसकी जूट बोरियों की कीमत भारत में बनीं बोरियों की तुलना में कम है।

जेपीएमए के तहत सरकारी आपूर्ति में आयातित बोरियों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इस कानून के मुताबिक भारत में बनीं बोरियों का ही सरकारी आपूर्ति में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जूट आयुक्त ने कोई कार्रवाई की इसका जूट उद्योग पर चोट पड़ेगी, जिसे पहले ही पंजाब जैसे राज्यों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

Business Standard
29/7/14